SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to set up an Indian Highway Finance Corporation on the pattern of the Indian Railway Finance Corporation; and

(b) if so, what are the details thereot ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT) : (a) and (b) Highways Finance Corporation tor raising resource's lor National High-■ways are un der consideration of the Government.

अखिल भारतीय महिला कर्मचारी संघ का अभ्यावेदन

89. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरक र को अखिल भारतीय महिल कर्मचारी संघ से ऐसा कोई अभ्या वेदन प्राप्त हुआ है जिसमें (1) कार्य के समय में आधे घंटे की वृद्धि को व पस लेने, (2) सरकारी सेवा में पति और पत्नी दोनों की नियुक्ति एक ही स्थान पर करने और (3) कामकाजी महिलाओं के लिये शिशु-गृहों की सुविधाये प्रदान करने की, मांग की, गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती भारद्वाज) : (क) और (ख) जी, हां । सभी सरकारी महिल कर्मचारी संगठनों से एक अभ्य वेदन प्राप्त हुआ है। भाग (क)में यथोल्लिखित मुद्दों की, कार्मिक विभाग द्वारा जांच की, गई है और बताई गई स्थिति इस प्रकार है:–

1. कार्य घंटों में आधे घंटे की वृद्धि को समाप्त करने की मांग पर विचार किया गया और उसे नामन्जूर कर दिया गया है ।

2. जहां तक पति-पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात किये जाने का प्रश्न है सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिये हैं [प्रतिलिपि 'विवरण' के रूप में संलग्न है (नीचे देखिये)] जिनमें ऐसे दिशा-निर्देश हैं, जिनके अनुसार पति-पत्नी को, जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी हों, जहां तक संभव हो, प्रशासनिक व्यवहार्यता के अन्तर्गत इकट्ठे एक ही स्थान पर तैनात किया जाना चाहिये ।

3. जहां तक कामकाजी महिलाओं के लिये क्रेच सुविधाओं के विस्तार का प्रश्न है, कार्मिक और प्रशासनिक विभाग के अन्तर्गत गृह कल्याण केन्द्र इस समय 25 क्रेचों को चला रहा है –23 दिल्ली में, और फरीदाबाद तथा जयपुर में एक-एक हैं । क्रेचों की संख्या बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं जिससे कि अधिक संख्या में कर्मचारियों को यह कल्याण सुविधा उपलब्ध की जा सके। अभी हाल में ही यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक कार्यालय भवन में कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिये 1 क्रेच होना चाहिये। गृह कल्याण केन्द्र द्वारा चलाये जा रहे क्रेच उन क्रेचों के अतिरिक्त हैं जो निजी संगठनों गैर सरकारी संगठनो द्वारा चलाए जा रहे हैं।

विवरण

संख्या 28034/7/86-स्था० (क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल, 1986

कार्यालय ज्ञापन

विषय:—पति और पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती ।

सरकारी सेवा अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सेवा में कार्य कर रहे पति और पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती किये जाने के संबंध में एक नीति तैयार करने से संबंधित प्रश्न संसद में तथा अन्य मंचों पर, कई अवसरों पर उठाया जा चुका है। इस बारे में सरकार की स्थिति यह रही है कि सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों से एक स्थान पर तैनात किये जाने संबंधी प्राप्त अनुरोधों पर आमतौर से सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाता है तथा प्रत्येक मामले में, प्रशासनिक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये, गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है ।

2. भारत सरकार ने सभी प्रकार के सामाजिक व्यवसायों तथा जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के स्तर को ऊपर उठाने की ओर अत्यधिक ध्यान दिया है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा योजनायें तथा नीतियां तैयार की जा रही हैं तथा उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । यह भी आवश्यक समझा गया है कि एक ऐसी नीति हो जो सरकार तथा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में कार्यरत महिलाओं को, एक ओर तो पत्नी/मां के रूप में तथा दूसरी ओर उत्पादनकारी श्रमिक रूप में अपने उत्तरदायित्वों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में समर्थ बना सके सरकार की यह नीति है कि यथासंभव प्रशासनिक व्यवहार्यता की सीमाओं के भीतर पति और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात किया जाना चाहिये ताकि वे एक सामान्य पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकें तथा अपने बच्चों की शिक्षा तथा हित सुनिश्चित कर सकें ।

3. फरवरी, 1976 में, तत्कालीन समाज कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालयों तथा विभागों को यह अनुरोध करते हुये एक अर्ध-शासकीय पत्र जारी किया था कि वे पति और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात किये जाने संबंधी प्रश्न पर गंभीरता से विचार करें । फिर भी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला कल्याण विभाग में, महिलाओं से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि उक्त विभाग उनकी तैनाती उन स्थानों में कराने के लिये हस्तक्षेप करें, जहां उनके पति तैनात हैं । अतः अब यह निर्णय लिया गया है कि कमसे कम उन कर्मचारियों के बारे में नीति की मुख्य-मुख्य बातें निर्धारित की जायें जो केन्द्रीय सरकार/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन कार्य कर रहे हैं । अतः नीचे के पैराग्राफों में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने का प्रयास किया गया है ताकि संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, पति तथा पत्नी को एक ही स्थान पर तैनाती किये जाने संबंधी, प्राप्त अनुरोधों पर विचार कर सके । प्रारंभ में ही यह स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी को इस नीति के क्षेत्र के भीतर लाना संभव नहीं हो पायेगा क्योंकि पति/पत्नी की रोजगार संबंधी परिस्थितियां भिन्न-भिन्न प्रकार की तथा स्वरूप की

होती हैं । अतः नीचे दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांत सर्वांगीण नहीं हैं अपितु उदाहरण स्वरूप हैं । सरकार चाहती है कि बाकी सभी मामलों में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी को चाहिये कि वे ऐसे अनुरोधों पर अत्याधिक सहानुभूति के साथ विचार करें ।

4. निम्नलिखित प्रकार के मामले सामने आ सकते हैं तथा प्रत्येक प्रकार के मामले को निपटाने के लिये मार्ग दर्शी सिद्धांत नीचे दिये गये हैं :–

(1) जहां पति और पत्नी एक ही अखिल भारतीय सेवा से अथवा दो अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा (समूह "क") से संबंधित हों:–

(2) जहां एक जीवन साथी किसी अखिल भारतीय सेवा से संबंध रखता हो तथा दूसरा किसी केन्द्रीय सेवा में संबंध रखता हो:–
–केन्द्रीय सेवा का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, अधिकारी को उस स्थान पर अथवा यदि उस स्थान पर कोई पद न हो तो उस राज्य में, जहां अखिल भारतीय सेवा से संबंधित उसका जीवन साथी तैनात हो, तैनात कर सकता है ।

(3) जहां पति और पत्नी एक ही केन्द्रीय सेवा से संबंधित हों–
ऐसे मामलों में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी पति और पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात कर सकता है ।

(4) जहां एक जीवन साथी एक केन्द्रीय सेवा से संबंध रखता हो तथा दूसरा किसी अन्य केन्द्रीय सेवा से –

पति अथवा पत्नी दोनों में से जिसने अधिक समय की सेवा कर ली हो– वह उपयुक्त संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी को ऐसा आवेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा उक्त प्राधिकारी उस अधिकारी को उसके द्वारा आवेदित स्थान पर अथवा यदि, उस स्थान पर कोई पद न हो तो उस राज्य में, तैनात कर सकता है जहां अन्य केन्द्रीय सेवा से संबंध रखने वाला उनका जीवन साथी तैनात है ।

जहां पति और पत्नी में से कोई एक अखिल भारतीय सेवा से संबंधित हो तथा दूसरा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम संबंधित हो :–
–सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में नियुक्त जीवन साथी सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा । तथा उक्त प्राधिकारी उस अधिकारी को आवेदित स्थान पर अथवा यदि उस स्थान पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में कोई पद न हो तो उस राज्य में जहां उसका जीवन साथी तैनात है, तैनाती कर सकता है ।

(5) जहां पति और पत्नी में कोई एक केन्द्रीय सेवा से संबंधित हो तथा दूसरा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित हो:–

–सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में नियुक्त जीवन साथी सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा तथा उक्त प्राधिकारी उस अधिकारी को आवेदित स्थान पर अथवा यदि उस स्थान पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में कोई पद न हो तो उस राज्य में जहां उसका जीवन साथी तैनात है, तैनाती कर सकता है । फिर भी, यदि उसके अनुरोध को इस आधार पर स्वीकार न किया जा सकता हो क्योंकि उस स्थान अथवा उस राज्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में कोई पद नहीं है तब केन्द्रीय सेवा से संबंधित जीवन साथी उपयुक्त संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है तथा उक्त

प्राधिकारी उस अधिकारी को उस स्थान पर अथवा यदि उस स्थान पर कोई पद न हो तो उस राज्य में जहां सरकारी क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित उसका जीवन साथी तैनात हो, तैनात कर सकता है।

(7) जहां पति और पत्नी में से कोई एक केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत हो तथा दूसरा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हो :--

—केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्त जीवन साथी सक्षम प्राधिकारी को आवेदन दे सकता है तथा सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिकारी को उस स्थान पर अथवा यदि आवेदित स्थान पर कोई पद न हो तो उस राज्य में जहां उसका जीवन साथी तैनात है, तैनात कर सकता है।

5. ऊपर दिये गये उदाहरणों से मालूम होगा कि उनमें ऐसे सभी प्रकार के संभावित मामले शामिल नहीं हैं जो कि उठ सकते हैं। वस्तुतः, मामलों की सभी श्रेणियों को पहले से जान पाना संभव नहीं है। ऐसे प्रत्येक मामले को, जो ऊपर उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत न आता हो, इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के पीछे किसी भावना को तथा पति और पत्नी को जहां तक संभव हो और प्रशासनिक सुविधाओं की सीमा के भीतर एक ही स्थान पर तैनात किया जाना, सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये निपटाना होगा।

6. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित अनुदेशों को अपने नियंत्रणाधीन सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों की जानकारी में ला दें तथा इसके अनुपालन को सुनिश्चित करें।

7. जहां तक भारतीय सेवा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किये जाते हैं।

8. यह कार्यालय ज्ञापन लोक उद्यम विभाग की सहमति से जारी किया जाता है।

ह०/-
(श्रीमती आरती खोसला)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

Resettlement of shopkeepers on north frontier railway station, jogbani purnea

90. DR. BAPU KALDATE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a tact that several shopkeepers settled on North Frontier Railway Station, Jogbani, Purnea Bihar have been evicted;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether any representation has been received from Members of Parliament for resettlement of these 115 shopkeepers; and

(d) it so, what steps have been taken to resettle these evicted shopkeepers ?

THE MIN1STFR OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAV RAO SCINDIA) : (a) Yes, Sir.

(b) The shops had been constructed unauthorisedly on railway land and were, therefore, required to be removed under the extant rules.

(c) Yes, Sir.

(d) It has not been the policy of this Ministry to provide alternative accommodation to unauthorised